

19.02.25

पत्रावली पेश। शत्रु पक्ष वकील उप।
अप्राची से। से उकी ओर से
लंबे समय व्यतीत के बाद भी
जवान पेश नहीं किये जाने पर
जवान बंद किया जाता है।

प्राची वकील द्वारा आदेशिका दि.

04.02.2020 में बर्तित तथ्यों के
साथ साथ आदेशिका दि. 11.02.2020

के तथ्यों को दोहराया तथा
प्रकरण में अस्थाई निवेद्या जारी
करने का निवेदन किया।

हमने प्राचीगण अधिवक्ता द्वारा दिये
गये तर्कों पर मनन किया तथा
पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का
अध्ययन अवलोकन किया। प्रस्तुत

दस्तावेजों अनुसार बाउ ग्रस्त आराजी

मौजा मेलिया, पटवार भंडल गुंदाऊ के

ख. न. 157, 857/157, 856/157, 264,

263, 858/157, 2068/459, 2069/468,

459, 468, 2070/468, 2071/468, 2072/468

479/1964 आराजी में प्रथम दृष्टया

मामला, सुविधा का संतुलन, क्षुपूरवीमि सति

का विद्वान् प्राची के पक्ष में सिद्ध हो

से अस्थाई निवेद्या जारी करना उचित समझता हूँ


सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
------------	-----------------------------------	---

— आदेश —

अतः उपर्युक्त पत्रकारान की मौजा मेलिया, पटवार हल्का गुंदाक के ख.नं., 157, 857/157, 856/157, 264, 263, 858/157, 2068/459, 2069/468, 459, 468, 2070/468, 2071/468, 2072/468, 479/1964 आराजी में मॉडे व रेकॉर्ड की गद्यस्थिति खनामे रखने हेतु रद्दी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निल्वरण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम है।


 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)